संख्या–पी–24 / 14–2–2016–800(25) / 2015

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 16 फरवरी , 2016

विषयः– जनपद–फैजाबाद में इण्डियन ऑयल का0लि0 द्वारा इलाहाबाद–फैजाबाद (रा0रा0मार्ग सं0–330) मार्ग के किमी0 132 से 133 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम नैपुरा तहसील–सोहावल जनपद फैजाबाद में न्यू रिटेल आउटलेट निकालने हेतु 0.0840 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1638 / 11–सी / यूपी–039 / 2015, दिनांक 04–02–2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नवत कमियों का निराकरण अपेक्षित है:–

(1) प्रस्ताव के साथ आपके कार्यालय पत्र दिनांक 04–2–2016 सहित संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.0840 हे0 अंकित है जबकि टाइम लाइन डिटेल एवं पार्ट–2 ऑन लाइन में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि 0.084 और 0.15481 है0 अंकित किया गया है। वास्तवित क्षेत्रफल अंकित किया जाय।

(2) प्रस्ताव में अंकित है कि भूमि स्वामित्व वाला विभाग लोक निर्माण विभाग है जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ–42 से 44 पर रक्षित प्रमाण पत्र एन0एच0आई0 द्वारा निर्गत किया गया है?

(3) प्रस्ताव के पृष्ठ–59 पर रक्षित ले आउट प्लान भू–स्वामित्व वाले विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है।

इस सम्बन्ध में विषयगत प्रस्ताव को वापस करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर अपेक्षित सूचनाओं एवं अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।